

राजस्थान सरकार
निदेशालय जलप्रदण विभाग एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कामांक : एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमी/निजमूस/2012/ ८१८-८३९ दिनांक : १५/५/१२

रामरत्न परियोजना प्रबन्धक,
राटरखोड रोड कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अधिकारित)

विषय :- आईडब्ल्यूएमी, अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में प्रवेश दिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत सोलर लाईट्स के रखरखाव एवं सतत उपयोगिता के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- निदेशालय के समसंबंधक पत्रांक 4832-4942 दिनांक 07.08.2012

उपर्युक्त विभागान्तर्गत एवं प्राचीनिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि आईडब्ल्यूएमी के अन्तर्गत स्थापित सोलर लाईट्स के रखरखाव एवं सतत उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु इनके रखरखाव का दायित्व स्थानीय रूप से पर लागूपनि होने वाले स्थानीय समुदाय के समूह/सम्प्रयता का दायित्व स्थानीय संस्था/ग्राम परायाएव इच्छादि को सौंपा जाये। जलप्रदण विभाग दल के गढ़रयों से मासिक रूप से इनके चालू होने की सूचना प्राप्त की जाये। सोलर लाईट्स खराब पाये जाने पर सम्बन्धित काम्पनी या आईडब्ल्यूएमी के अधिकारी अवधिकारी अधिकारी या उनकी दोषी की दशा में तुरन्त राजकूप कर अधिकारी इन्हें ठीक कराया जाये एवं काम्पनी द्वारा कार्यवाही नहीं करने की दशा में तुरन्त काम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर निदेशालय को सूचित किया जाये। इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी जिले से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मुझे निर्देशित किया जाता है कि सोलर लाईट्स के रामबन्ध में प्रत्येक माह निम्ननुसार प्रपत्र में निदेशालय को सूचना प्रेषित की जाये:-

परियोजना रखरखाव वर्ष	परियोजना का नाम	ग्राम नाम	स्थापित सोलर लाईट्स की संख्या	खराब/अनुपर्याप्ती सोलर लाईट्स की संख्या	खराब/ अनुपर्याप्ती के कारण	प्रकरण में की गई ¹ कार्यवाही

उक्त सूचना निदेशालय को 3 दिवस में आवश्यक स्पष्ट से प्रेसित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इस सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए कार्यवाही की जाएंगी। साथ ही नियांरित प्रपत्र में सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से निदेशालय को निजवाना सुनिश्चित करें।


उक्त सूचना ई-मेल के माध्यम से immp4.wdsc@gmail.com पर निजवान सुनिश्चित करें।


निदेशक

कामांक : एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमी/निजमूस/2012/ ८१८-८३९ दिनांक : १५/५/१२

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम/द्वितीय), निदेशालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. समरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अधिकारित)
4. उपनिदेशक (W.M.P.-I.I.III.IV.V.VI.VII.VIII.MIESP.O.D.R.), निदेशालय, जयपुर।
5. समरत लेखाधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अधिकारित)
6. एसीपी, निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेद साइंट पर अपलोड करायें।


निदेशक